

प्रारूप

न्यायालय, श्रीमान, तहसीलदार, तहसीलजिला.....

प्रार्थना पत्र संख्यासन

(अन्तर्गत धारा 25 एवं 26 उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006)

.....बनाम.....

1- यह कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक.....को संलग्नित अभिलेख राजस्व खतौनी जोत के आधार पर राजस्व खतौनी जोत आराजी संख्या.....ग्रामसभा.....तहसील.....जनपद के संबन्ध में, प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्नलिखित मार्गाधिकार व अन्य सुखाचार अनुतोष की याचना इस राजस्व न्यायालय से प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष को निम्नवत उद्धित किया जा रहा है।

अनुतोष :

(1) -

(2) -

(3) -

2- यह कि केस के तथ्य :

.....

3- यह कि उपरोक्त अनुतोष (मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार/ **Right of way and other easement**) राजस्व अभिलेख खतौनी जोत से संबन्धित हैं, जिसके संबन्ध में क्षेत्राधिकार सक्षम राजस्व न्यायालय तहसीलदार, तहसील....., जनपद को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 25 व 26 सपठित नियम-23 उ0प्र0 राजस्व नियमावली, 2016 में है और यह निर्णय के बाद आदेश के निष्पादन (**Execution**) का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय तहसीलदार को है।

4- यह कि उ0प्र0 राजस्व अधिनियम 2006 , की धारा 25, 26 व 27 सपठित नियम-23 उ0प्र0 राजस्व नियमावली 2016 मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार/ **Right of way and other easement** से संबंधित है जिसे निम्नवत उद्धित किया जाता है-

धारा 25. मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार – ऐसे मार्ग के संबंध में (सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न) जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चारागाह भूमि पर पहुँच सके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, तहसीलदार, ऐसी स्थानीय जाँच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त सम्बद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मामले का विनिश्चय कर सकता है। वह ऐसे अवरोधों को हटाने के लिए निदेश दे सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो और संबंधित व्यक्ति से विहित रूप में ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत की वसूली कर सकता है।

धारा 26. अवरोध का हटाया जाना – यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने का निदेश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो, और सम्बद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है।

धारा 27. उप-जिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति– उप-जिलाधिकारी धारा 25 या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किये गये किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से माँग सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे [:]

परन्तु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।

नियम- 23 उ0प्र0 राजस्व नियमावली, 2016 निम्नवत उदित किया जाता है—

नियम-23. अवरोध हटाने के लिये खर्च की वसूली [धारा 25 और 26] – संहिता की धारा 25 अथवा धारा 26 के अन्तर्गत अवरोधों को हटाने के खर्च की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जा सकती है।

5- यह कि परिभाषा :- सुखाचार (easement):- भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (The Indian Easements Act, 1882) की धारा 4, "सुखाचार" को परिभाषित करता है कि सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत में, उस भूमि के फ़ायदाप्रद उपभोग के लिए, किसी अन्य भूमि में, या उस पर या उसके संबंध में, जो उसकी अपनी नहीं है, कोई बात करने और करते रहने के लिए, या किसी बात का किया जाना रकने और रोकते रहने के लिए प्राप्त है।

6- यह कि सड़क न होने के कारण जीवन में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव

कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव, व्यापार और वाणिज्य का अवरोध, निवेश और रोजगार की कमी, पर्यटन का अभाव, सामाजिक अलगाव, शादी - विवाह में दिक्कत, गाँव की छवि पर असर, शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच में बाधा, सरकारी योजनाओं का असफलता, आपातकालीन चिकित्सा में देरी, नियमित स्वास्थ्य सेवा का अभाव, टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अवरोध, अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट तक ले जाने में दिक्कत, कानून प्रवर्तन में बाधा, प्राकृतिक आपदाओं के समय समस्याएँ, आग से बचाव में कठिनाई, वैधानिक अधिकारों/मौलिक अधिकारों व मानवाधिकारों का उल्लंघन, सड़क न होने के कारण सरकार और किसानों दोनों को नुकसान, जमीन की कीमत में भी गिरावट।

7- यह कि सड़क का अभाव एक ऐसी समस्या है जो किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास को कई स्तरों पर प्रभावित करती है। यह केवल परिवहन की असुविधा नहीं है, बल्कि यह गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संकट, सामाजिक अलगाव और सुरक्षा की कमी का मूल कारण है। अच्छी सड़कों का निर्माण न केवल आर्थिक विकास को गति

देगा, बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा और एक मजबूत, समावेशी समाज का निर्माण करेगा। यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग सड़कों से ही होकर गुजरता है।

8- यह कि यहाँ यह कहना उचित होगा कि जब किसी व्यक्ति के लिए उसके खेत तक पहुँचने का सुगम रास्ता बाधित होता है, तो यह उसके कानूनी, मौलिक और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, खेत तक निर्बाध पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बाधा न केवल व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, बल्कि उसके जीवन जीने के अधिकार और संपत्ति के अधिकार का भी हनन करती है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक किसान को अपनी भूमि तक पहुँचने का सुगम और कानूनी अधिकार प्राप्त हो। यह न केवल कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

9- यह कि ऐसे मार्ग (जो सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न हो) जिसके माध्यम से कोई भूमिधारक (खातेदार) या खेतिहर मजदूर (कृषि श्रमिक) अपनी भूमि पर, या गाँव की बंजर या चरागाह भूमि पर पहुँच सके, अथवा ऐसे स्रोत या जलमार्ग के संबंध में जहाँ से वह सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा सके, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो तहसीलदार, आवश्यक स्थानीय जाँच के बाद, यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उस मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है। तो लोक व्यवस्था बनाए रखने वाली एम्बुलेंस, दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं की पहुँच बाधित होगी। बच्चों की शिक्षा और आम नागरिकों के सुख-सुविधा के अधिकार का न केवल हनन होगा, बल्कि इससे सामाजिक अशांति भी पैदा होगी। रास्ता बंद होने से आम जनता को खेत में सिंचाई, दवा लेने और रोज़मर्रा की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है।

10- यह कि यदि किसी व्यक्ति का रास्ता बंद या अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो वह किसी भी सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने से वंचित हो जाएगा और अपनी खेत की जुताई, बुवाई और कटाई से वंचित हो जाएगा। यदि कोई बीमार होता है, तो घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगी, आग लगने की स्थिति में दमकल विभाग की गाड़ियाँ घर तक नहीं पहुँच पाएँगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल वैन नहीं जाएगी। किसान अपने कृषि उत्पादन या जैविक उत्पादन को किसी मोटर वाहन से, किसी मंडी या डेयरी तक नहीं पहुँचा सकता। शादी-विवाह में बारात की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकतीं। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शव वाहन घर तक नहीं जा सकता। मार्ग के अभाव में किसी भी सरकारी योजना का लाभ घर तक नहीं पहुँच पाता है। यदि व्यक्ति गाँव से बाहर रहता है, तो बरसात और बाढ़ के समय में अपनी फसल उगने के समय अपने घर तक नहीं पहुँच सकता है। खेत की कटाई हो जाने के बाद अन्य लोगों के खाली खेतों से केवल मई या जून में ही अपने घर जा सकता है।

अतः मार्ग न होने से व्यक्ति के सभी सुख का आधार छिन जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों की वजह से न केवल व्यक्ति के मार्गाधिकार व अन्य अधिकारों का हनन होता है, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाज में धूमिल हो जाती है और ज़िन्दगी एक ही जगह ठहर जाती है। व्यक्ति कुंठा में जीता है और ज़िन्दगी नरक सी लगती है। इस प्रकार, व्यक्ति का न केवल विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बल्कि मानवाधिकार का भी हनन हो जाता है।

11- यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में रास्ता या अन्य सुखाचार अधिकार से संबंधित प्रावधान धारा 25 और 26 में दिए गए हैं। यह इमरजेंसी धारा है जो कि रास्ते से संबंधित है ये प्रावधान किसी व्यक्ति को दूसरे की भूमि पर, चाहे वह भूमिधारी हो या किसी अन्य प्रकार की, मार्गसुखाचार (right of way) या अन्य सुखाचार अधिकार प्रदान करते हैं यह इमरजेंसी क्लॉज़ बनाया गया है ताकि किसी का रास्ता बाधित न हो। इन अधिकारों को लागू करने के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन (दरखास्त) प्रस्तुत किया जा सकता है।

12- यह कि यह प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, में इसलिए लाया गया, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हर जगह चकबंदी संभव नहीं है। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान, चक मार्ग और अन्य सार्वजनिक रास्तों की व्यवस्था खतौनी में की जाती थी। अतः अब जब चकबंदी की प्रक्रिया सीमित हो गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे

की भूमि पर अपने आवश्यक अधिकारों (जैसे रास्ता) के लिए कानूनी सहायता मिल सके, मार्गाधिकार व अन्य सुखाचार दूसरे व्यक्तियों के जमीनों के लिए धारा 25 व 26 में आवेदन (दरखास्त) प्रस्तुत किया जाये ।

13- यह कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि रास्ते के अवरोध/बंद किये जाने से सर्वजनहित का अपूर्णनीय क्षति होगी। यथा-आपातकालीन सेवाएं (लोक-व्यवस्था/एम्बुलेंस/फायर इत्यादि की सुलभता बाधित), दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की सेवाएं (बच्चों की शिक्षा दीक्षा व आमजन की सुखाधिकार का न केवल हनन होगा बल्कि सामाजिक अवांछना भी होगी। तथ्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ सामाजिक समूहों का अंतर्गत प्रश्न निहित है, इसके अलावा यह रास्ता बंद होने से आमजन को सिचाई, दवा लेने तथा रोजमर्रा की जरूरतों से समाज को वंचित होना पड़ेगा, जो उचित नहीं है। अतः वर्षों से चले आ रहे परम्परागत पुराने रास्ते को कायम रखना न केवल न्यायहित में बल्कि जनहित में भी सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है।

प्रार्थना

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायहित में माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि मौजा परगना..... गाटा संख्या से लोगो के आने जाने का 15 फिट का रास्ता कायम किया जाय। तथा उक्त रास्ते पर प्रतिवादी व उसके बारिसानो..... आदि को जनमानस के रास्ते को किये गए अवरुद्ध को हटाने का आदेश पारित किया जाय। एवं प्रतिवादी पर क्षतिपूर्ति मु० धनराशि/- (.....रु०) आरोपित किया जाय। आदेश की प्रति लेखपाल एवं थानाध्यक्ष..... को इस निर्देश के साथ भेजी जाय कि उक्त रास्ते पर किये गए अतिक्रमण को हटवा कर माननीय न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करे ।

हस्ताक्षर

प्रार्थी

नाम :

तहसील:.....

जिला:.....

दिनांक:

मोबाइल नं० :